

सं०सं०-७/जन स्वा०-८-०१/२०१७- 170(7)a
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 27-3-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अन्य मदों में कुल ₹ 14,67,833/- (चौदह लाख सड़सठ हजार आठ सौ तैतीस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-15.05.17, 51(7)ब दिनांक-30.08.17, 66(7)ब दिनांक-21.09.17 109(7)ब दिनांक-11.12.17 एवं 121(7)ब दिनांक-27.12.17, 143(7)ब दिनांक-20.02.18 155(7)ब दिनांक-16.03.18 एवं 165(7)ब दिनांक-21.03.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अन्य मदों में कुल ₹ 14,67,833/- (चौदह लाख सड़सठ हजार आठ सौ तैतीस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश सं०-233(7) दिनांक-26.03.18) से प्राप्त राशि से की जायेगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे । उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे ।

7. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

8. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।


9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

← 27/3/18

10. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,


27/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 170 (7)0

पटना, दिनांक : 27-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


27/3/18

सरकार के विशेष सचिव



विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002

| क्रम | जिला का नाम | चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01) | संविदा सेवाएँ (28-02) | योग | अभ्युक्ति |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना | 30797 | 0 | 30797 | 718/9.6.17 |
| 2 | निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना (बी0एच0डब्ल्यू कार्यक्रम) | 0 | 264248 | 264248 | 924/22.11.17 |
| 3 | सिविल सर्जन, पटना | 8708 | 0 | 8708 | 1017/28.12.17 |
| 4 | सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर | 264080 | 0 | 264080 | 3865/16.12.17 |
| 5 | सिविल सर्जन, गोपालगंज | 0 | 900000 | 900000 | 379/19.2.18 |
| कुल योग:- | | 303585 | 1164248 | 1467833 | |

(चौदह लाख सड़सठ हजार आठ सौ तैतीस) रू० मात्र

← 17/2/18
27/3/18

सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002

उपबंध की स्थिति

| क्रम | प्राथमिक इकाईयां | कुल उपबंधित राशि / पुनर्विनियोग सहित | पूर्व में आवंटित राशि | वर्तमान में आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | अवशेष राशि |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1 | वेतन (0002-01-01) | 60300000 | 51415000 | 0 | 51415000 | 8885000 |
| 2 | जीवन यापन भत्ता (0002-01-03) | 78994000 | 67252100 | 0 | 67252100 | 11741900 |
| 3 | मकान किराया भत्ता (0002-01-04) | 11294000 | 8857400 | 0 | 8857400 | 2436600 |
| 4 | परिवहन भत्ता (0002-01-05) | 354000 | 352459 | 0 | 352459 | 1541 |
| 5 | चिकित्सा भत्ता (0002-01-06) | 1017000 | 775350 | 0 | 775350 | 241650 |
| 6 | अन्य भत्ता (0002-01-07) | 975000 | 768300 | 0 | 768300 | 206700 |
| योग 20-2210.06.003.0002.01 वेतन | | 152934000 | 129420609 | 0 | 129420609 | 23513391 |
| 7 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01) | 504000 | 196543 | 303585 | 500128 | 3872 |
| 8 | यात्रा व्यय (0002-11-01) | 100000 | 80000 | 0 | 80000 | 20000 |
| 9 | कार्यालय व्यय (0002-13-01) | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 |
| 10 | वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02) | 200000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |
| 11 | दूरभाष (0002-13-03) | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |
| 12 | विद्युत प्रभार (0002-13-04) | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 |
| 13 | विधि प्रभार (0002-13-05) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| 14 | वर्दी / पोषाक (0002-13-06) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| 15 | किराया महसूल एवं कर (0002-14-01) | 108000 | 108000 | 0 | 108000 | 0 |
| 16 | प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03) * | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 |
| 17 | सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| 18 | दवा भंडार (0002-21-02) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 19 | संविदा सेवाएँ (0002-28-02) | 1166000 | 0 | 1164248 | 1164248 | 1752 |
| 20 | छात्रवृत्ति / वजीफा (0002-34-01) | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 |
| 21 | मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| कुल योग:- | | 156700000 | 130793152 | 1467833 | 132260985 | 24439015 |

170 (7) a
27-3-18

← 17/2/18
सरकार के विशेष सचिव 27/3/18